

प्रेषक,

राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
(लेखा एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-01, दिनांक—

विषय:— श्रम संसाधन विभाग, (नियोजन पक्ष) के राज्य स्कीम अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में "संयुक्त श्रम भवन निर्माण" योजना के प्रावधानित उपबंध के तहत नियोजन भवन के Renovation and Remodeling to E.W & E.I in Palna Ghar 1st Floor, A Block, Niyojan Bhawan Bailey Road, Patna के कार्य हेतु कुल ₹7,61,527 /—(सात लाख इकसठ हजार पाँच सौ सत्ताईस रुपये) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश— स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्कीम अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में "संयुक्त श्रम भवन निर्माण" स्कीम के प्रावधानित उपबंध के तहत नियोजन भवन के Renovation and Remodeling to E.W & E.I in Palna Ghar 1st Floor, A Block, Niyojan Bhawan Bailey Road, Patna के कार्य हेतु कुल ₹7,61,527 /—(सात लाख इकसठ हजार पाँच सौ सत्ताईस रुपये) मात्र के कार्य हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1, पटना, भवन निर्माण विभाग, पटना ने अपने पत्रांक-947(अनु०) दिनांक-20.02.2025 द्वारा ₹7,61,527 /—(सात लाख इकसठ हजार पाँच सौ सत्ताईस रुपये) मात्र की लागत पर प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित सरकार के उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया है। राज्य स्कीम में संयुक्त श्रम भवन का निर्माण स्कीम हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ₹3200.00 लाख मात्र का बजट उपबंध प्रावधानित है। इसके अंतर्गत उक्त कार्य हेतु ₹7,61,527 /—(सात लाख इकसठ हजार पाँच सौ सत्ताईस रुपये) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम अंतर्गत राशि का व्यय योजना शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, मुख्य शीर्ष-01-कार्यालय भवन, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0116-संयुक्त श्रम भवन निर्माण, समूह शीर्ष राज्य स्कीम, माँग संख्या-3, विपत्र कोड-03.4059.01.051.0116 के विषय शीर्ष-"53 01-मुख्य निर्माण कार्य" मद में उपबंधित राशि ₹3000.00 लाख मात्र में से विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

4. इस राशि की निकासी कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

5. राशि का व्यय बजट उपबंध के अंतर्गत सीमित रखा जायेगा।

6. इस कार्य हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

7. कार्य का मासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना को ससमय समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उक्त में विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका सं०-बी०-1003/2010(पार्ट)2019 के पृ०-127
...../टि० पर तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०-126...../टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- बी०-1003/2010(पार्ट)2019-

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-विशेष
सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता विद्युत, भवन निर्माण विभाग, बिहार,
पटना/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, दक्षिण बिहार, भवन निर्माण विभाग,
पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- बी०-1003/2010(पार्ट)2019-

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/विकास आयुक्त के
सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उप निदेशक, योजना एवं विकास
विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

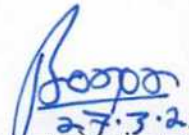
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- बी०-1003/2010(पार्ट)2019- 409

पटना-01, दिनांक- 27.03.2025

प्रतिलिपि:-विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-1, पटना/कोषागार पदाधिकारी,
पटना/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
क्रियार्थ प्रेषित।


27.3.25
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग